न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म

बिनय सिंह बनाम राज. सरकार

मु.नं. 31/25 किस्म (विविध)

04/9/25 अभिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.10.25 को पेश हो। (sd)

14.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली में प्रार्थी के साक्ष्य लिया जाना उचित है। अत: वकील प्रार्थी के साक्ष्य प्रार्थी पेश करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 02.12.25 को पेश हो। (sd)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2.12.25 अभिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-12-25 को पेश हो (sd)

12.12.25 अभिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.01.26 को पेश हो (sd)

16.01.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से सोहन सिंह पुत्र रेवडराम जाति गुर्जर निवासी पाखर-2 तहसील मण्डावर जिला दौसा ने शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किस्मा सिंह .... बनाम .... राज. सरकार मु.नं.– 31/25 (सिविल) किस्म – धारा 136 LR Act	
	प्रार्थी पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र धारा 136 LR Act पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा.पत्र प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया। प्रार्थी अभिभाषक की बहस का मनन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	**तारीख रजू**	**तारीख निर्णय**
31/2025	02.05.2025	16.01.2026

बउनवान

विनय सिंह पुत्र रेवडराम, निवासी सायपुर पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी / सायल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थी / गैरसायल

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री खेमसिंह गुर्जर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी वर्णित खाता संख्या 95 के खसरा नं. 49/0.86, 51/0.27, 52/0.49, 54/0.59 कुल किता 4 कुल रकबा 2.31 हैक्टे. ग्राम सायपुर 2 पटवार हल्का पाखर 2 में हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या 315 के खसरा नंबर 313/0.5438, 318/0.3162, 320/0.5817, 322/0.4047, 392/0.4553, 411/0.8473 कुल किता 6 कुल रकबा 3.1490 हैक्टे. ग्राम पाखर 2 पटवार हल्का पाखर 2 तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में हिस्सा 1/16 खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 (वर्ष 2020) से स्थायी में प्रार्थी का नाम ग्राम सायपुर 2 के खाता संख्या 95 में बनैसिंह पुत्र रेवडराम हिस्सा 1/4 एवं मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 (वर्ष 2020) से स्थायी में प्रार्थी का नाम ग्राम पाखर 2 के खाता संख्या 315 में बनैसिंह पुत्र रेवडराम हिस्सा 1/16 अंकित है जो सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी का नाम विनय सिंह पुत्र श्री रेवडराम के स्थान पर बोलता नाम बनैसिंह पुत्र रेवडराम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत है। प्रार्थी का नाम उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में विनय सिंह पुत्र श्री रेवडराम दर्ज है जो कि सही एवं सत्य है। राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम विनय सिंह पुत्र श्री रेवडराम दर्ज नहीं होने की वजह से सरकार से मिलने वाले सभी लाभ किसान सम्मान निधि योजना एवं बैंक केसीसी एवं कॉपरेटिव से खादबीज आदि क्रय करने तक में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं भविष्य में मेरी संतान को भी मेरा गलत नाम दर्ज होने की वजह से भूमि के नामान्तकरण में परेशानी होगी। अगर मेरा नाम बनैसिंह पुत्र रेवडराम के स्थान पर विनय सिंह पुत्र रेवडराम दुरूस्त नही किया गया तो मेरी संतान को अपने विरासत से सम्पत्ति से भी वंचित होना पड सकता है एवं सरकार द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं से भी मैं वंचित हो रहा हूँ। प्रार्थी दिनांक 21.04.2025 को पटवारी के पास बैंक से ऋण प्राप्त करने के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

उद्देश्य से केसीसी की फाईल बनवाने गया तो पटवारी ने कहा कि विनय सिंह पुत्र रेवडराम के नाम से कोई खातेदारी दर्ज नही है। बनैसिंह पुत्र रेवडराम के नाम से खातेदारी दर्ज है तब जाकर मुझे उक्त गलत इन्द्राज का पता चला कि मेरे वास्तविक नाम विनय सिंह पुत्र रेवडराम के स्थान पर बनैसिंह पुत्र रेवडराम खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है तत्पश्चात प्रार्थी अप्रार्थी तहसीलदार के पास गया और अपने सारे दस्तावेज बताये कि मेरा सही नाम विनय सिंह पुत्र रेवडराम है जबकि बनैसिंह पुत्र रेवडराम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गया है। उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया और कहा कि हमें यह अधिकार नही है आप श्रीमान उपजिला कलेक्टर के यहां से नाम दुरूस्ती का आदेश लेकर आओ लिहाजा प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र सुनवाई का न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार बखूबी हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी खसरा सं. 49, 51, 52, 54 कुल किता 4 कुल रकबा 2. 31 हैक्टेयर वाके ग्राम सायपुर 2 पटवार हल्का पाखर 2 एवं खसरा सं. 313, 318, 320, 322, 392, 411 कुल किता 6 कुल रकबा 3.1490 हैक्टेयर वाके ग्राम पाखर 2, पटवार हल्का पाखर 2, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में नाम बनैसिंह पुत्र रेवडराम के स्थान पर मेरा वास्तविक नाम विनय सिंह पुत्र रेवडराम दर्ज करने के आदेश करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/1785 दिनांक 10.09. 2025 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सायपुर के खसरा नं. 49, 51, 52, 54 कुल किता 4 कुल रकबा 2.21 हैक्टे., में बनैसिंह पुत्र रेवडराम हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर व ग्राम पाखर 2 के खसरा नं. 313, 318, 320, 322, 392, 411 कुल किता 6 कुल रकबा 3.14 हैक्टे. हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा. सायपुर दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का नाम विवादित आराजीयात की गत जमाबंदी संवत 2055 लगायत 2074 में भी बनैसिंह पुत्र रेवडराम दर्ज रिकार्ड है। बनैसिंह पुत्र रेवडराम व विनयसिंह पुत्र रेवडराम एक ही व्यक्ति के नाम है।

3. प्रार्थी की ओर से सोहन सिंह पुत्र रेवडराम साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को लिखा गया।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

> ***136.*** *गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

5. विवादित आराजीयात खसरा सं. 49, 51, 52, 54 की जमाबंदी संवत 2071–2074 में प्रार्थी का नाम बनैसिंह पुत्र रेवडराम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं. 313, 318, 320, 322, 392, 411 कुल किता 6 कुल रकबा 3.14 हैक्टे. हिस्सा 1/16 में भी प्रार्थी का नाम बनैसिंह पुत्र रेवडराम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम विवादित आराजीयात की गत जमाबंदी संवत 2055 लगायत 2074 में भी बनैसिंह पुत्र रेवडराम दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम पूर्व से ही बनैसिंह पुत्र रेवडराम राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त प्रविष्ठी बनैसिंह पुत्र रेवडराम को परिवर्तित करवाके विनयसिंह पुत्र रेवडराम करवाना चाहता है। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट एवं विवादित आराजी की जमाबंदी संवत 2074–2077, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं साक्ष्य शपथ पत्र से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी का हिस्सा मुताबिक वादपत्र अंकित है किन्तु प्रार्थी के नाम की जमाबंदी में गलत प्रविष्टि है जिसको सही किया जाकर नाम बनैसिंह पुत्र रेवडराम की जगह विनयसिंह पुत्र रेवडराम किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है तथा खसरा सं. 49, 51, 52, 54 कुल किता 4 रकबा 2.31 हैक्टे. स्थित ग्राम सायपुर 2 पटवार हल्का पाखर 2 एवं खसरा सं. 313, 318, 320, 322, 392, 411 कुल किता 6 कुल रकबा 3.14 हैक्टे. वाकेग्राम पाखर 2 पटवार हल्का पाखर 2 तहसील मण्डावर जिला दौसा के जमाबंदी में गलत प्रविष्टि बनैसिंह पुत्र रेवडराम को संशोधित किया जाकर विनयसिंह पुत्र रेवडराम किये जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज